www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 05.04.2017

सीबीआई ने विभिन्न बैंकों को 1530 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि पहुँचाने पर प्राइवेट फर्मों सहित कुछ आरोपियों के विरूद्ध अलग अलग छः मामले दर्ज किए

सीबीआई ने क्रमशः सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड एवं विजया बैंक द्वारा दायर धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड़यंत्र के आरोप की शिकायत पर आभूषणों आदि का व्यवसाय करने वाली मुम्बई की दो प्राइवेट फर्मो ; मुख्य प्रोत्साहक तथा अन्यों के विरूद्ध आज छः मामले दर्ज किए।

ऐसा आगे आरोप था कि विदेशी बैंकों से कम्पनियों के द्वारा सोने के आयात हेतु बैंकों के द्वारा अतिरिक्त साख पत्र चालू किए गए। सोने को भारत में आयात किया गया, तत्पश्चात 13 यू.ए.ई. के खरीदारों को पुनः निर्यातित किया गया। जब कम्पनियों ने भुगतान नही किया तब एस.बी.एल.सी., इण्डियन बैंकपर विदेशी बैंकों को भुगतान करने हेतु दबाव डाला गया। इन मामलों में 1530 करोड़ रू. (लगभग) बैंको को कथित हानि हुई। (इन बैंकों अर्थात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को एक मामले में 699.54 करोड़ रू. (लगभग) एवं दुसरे मामले में 255.24 करोड़ रू. (लगभग) ; आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड को एक मामले में 133.12 करोड़ रू. (लगभग) तथा एक अन्य मामले में 55.68 करोड़ रू. (लगभग) तथा विजया बैंक को एक मामले में 233.15 करोड़ रू. (लगभग) एवं एक अन्य मामले में 153.71 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि हुई), इस सन्दर्भ में बैंक कर्मियों व अन्यों की भूमिका की भी जॉच की जायेगी।

आगे की जॉच जारी है।

****